न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर

पीठासीन अधिकारी श्योराम वर्मा
(आर.ए.एस.)

दिनांक:- 22/09/2021

न.मु. 135/20 सन्

1. भिवाराम पुत्र जेठाराम जाति मेघवाल निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू (राज0)

.....वादी

बनाम

1. पाना देवी पुत्री ग्यारसी देवी पत्नि मेगाराम जाति नायक निवासी दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू (राज0) हाल गोपालपुरा तहसील सुजानगढ
2. भगवानी पत्नी पोकरराम जाति मेघवाल निवासी बीदासर तहसील बीदासर जिला चूरू (राज0)
3. भंवराराम पुत्र ग्यारसी देवी पुत्र भीवाराम जाति नायक निवासी दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू (राज0) हाल बैनाथा
4. भोलूराम पुत्र मनोहरी पुत्र भगवानाराम पुत्री गिदाराम जाति नायक निवासी ढढेरू भाम्भूवान तहसील बीदासर जिला चूरू (राज0) हाल खालिया तहसील सुजानगढ
5. मॅगलाराम पुत्र साजनराम जाति मेघवाल निवासी ढढेरू गोदारान तहसील बीदासर जिला चूरू (राज0)
6. मुन्नी देवी पुत्री ग्यारसी देवी पत्नि रूगाराम जाति नायक निवासी दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू (राज0) हाल गोपालपुरा तहसील सुजानगढ
7. राजूराम पुत्र ग्यारसी देवी पुत्र भीवाराम जाति नायक निवासी दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू (राज0) हाल बैनाथा
8. सुखाराम पुत्र ग्यारसी देवी पुत्र भीवाराम जाति नायक निवासी दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू (राज0) हाल बैनाथा
9. हुक्माराम पुत्र गिदाराम आयु 87 वर्ष जाति नायक निवासी ढढेरू भाम्भूवान तहसील बीदासर जिला चूरू (राज0)
10. हड़मानाराम पुत्र ग्यारसी देवी पुत्र भीवाराम जाति नायक निवासी दूंकर तहसील बीदासर जिला चूरू (राज0) हाल बैनाथा
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बीदासर (चूरू)
12. उप पंजीयक बीदासर (चूरू)

– प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned with CamScanner

राजस्व वाद, संयुक्त खातेदारी भूमि का विधिवत रूप से विभाजन एवं बेदखली, चिर निषेधाज्ञा डिग्री प्राप्ति कर प्रकार के लिखित एवं मौखिक प्रमाणों के आधार पर।

उपस्थित :

1. विद्वान अधिवक्ता श्री दीनदयाल प्रजापत वादी की ओर से...
2. विद्वान अधिवक्ता श्री अरविन्द चौधरी प्रतिवादी संख्या 02 व 09 की ओर से...
3. इकतरफा कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 01 व 03 ता 08 व 10
4. पैरोकार राज. प्रतिवादी संख्या 11 वा 12

— : निर्णय :—

दिनांकः— 22/09/21

वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि यह कि खेत खसरा नं. 910/511 तादादी 3.1367 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम ढढेरू भाम्भूवान तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। उक्त खेत खसरा संयुक्त खोतदारी का है जिसमें खेत खसरा संख्या 910/511 में भिवाराम पुत्र जेठाराम 3/62 हिस्सा , पाना देवी पुत्री ग्यारसी देवी 41/5952 हिस्सा, भगवानी पत्नी पोकरराम 5/248 हिस्सा, भंवराराम पुत्र ग्यारसी देवी 41/5952 हिस्सा , भोलूराम पुत्र मनोहरी पुत्री गिदाराम 21/496 हिस्सा , मॅगलाराम पुत्र साजनराम 15/124 हिस्सा , मुन्नी देवी पुत्री ग्यारसी देवी 41/5952 हिस्सा , राजूराम पुत्र ग्यारसी देवी 41/5952 हिस्सा , सुखाराम पुत्र ग्यारसी देवी 41/5952 हिस्सा , हुक्माराम पुत्र गिदाराम 721/992 हिस्सा खातेदारी वर्तमान में दर्ज चली आ रही है। उपरोक्त खसरे का अभी तक विधीवत रुप से विभाजन नही हुआ है उपरोक्त खसरा में वादी व प्रतिवादीगण अपनी आपसी सहमती से मौखीक रुप से कृषि भूमि पर काश्त करते चले आ रहे है। उपरोक्त खेतों का विधिवत रूप से अभी तक विभाजन नही हुआ है। उपरोक्त खेत अविभाजित संयुक्त खातेदार के रूप में दर्ज चला आ रहा है। जब तक विधिवत रूप से विभाजन नही हो जाता, तब तक प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक इंच पर अधिकार होता है। जिसके मालिकाना अधिकारों की घोषणा करवाने का वादी कानूनी अधिकार रखता है। प्रतिवादीगण की नियत में फर्क आ गया है ओर उपरोक्त संयुक्त अविभाजित खातेदारी खेत का हस्तान्तरण करना चाहते है। जब प्रतिवादीगणों को विभाजन हेतु कहा गया तो उन्होने विभाजन करने से साफ इन्कार कर दिया तथा ऐलानियां धमकिया दी कि बिना विभाजन ही अवैध निर्माण, रहन, विक्रय आदि करने पर आमदा है। जबकि जब तक विधिवत रूप से विभाजन नही हो जाता, तब तक प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्येक इंच पर अधिकार होता है। वादगत भूमि मे वादी के हिस्से की भूमि में प्रतिवादी सं. 01 ता 10 के नाम दर्ज है प्रतिवादी सं. 01 ता 10 के मन में लालच आ गया है और वे संयुक्त अविभाजित वादगत भूमि को बिना विधिवत विभाजन के विक्रय व अन्य प्रकार से हस्तान्तरण रहन/बन्धक, काश्त , कुआ खुदवाने निर्माण कार्य करवाने, बैको से ऋण आदि आदि करने पर आमदा है व वादी को उसके हक वा हिस्से की भूमि से महरूम करना चाहते है जबकि वादगत भूमि में वादी का अपने हक हिस्से की भूमि पर पुख्ता कब्जा उपयोग उपभोग व अधिकार चला आ रहा है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned with CamScanner

प्रतिवादीगण 01 ता 10 वादी को एलानिया धमकिया दे रहा है कि वादगत भूमि को विक्रय का सौदा तय कर लिया है। व आपको बेदखल करके रहेगे व सम्पूर्ण भूमि को विक्रय कर देगे इसलिए वादी के लिये यह आवश्यक हो गया कि वो प्रतिवादियों को जरिये चिरनिषेधाज्ञा पाबन्द फरमाये कि वादगत भूमि मे से वादी के हक व हिस्से की भूमि से बेदखल ना करे विक्रय, किसी भी तरह का हस्तान्तरण, रहन, वैय निर्माण आदि आदि ना करे ना ही वादी को उसके कब्जे, काश्त, उपयोग, उपभोग की खातेदारी भूमि से बेदखल ना करे। ना ही काश्त मे दखलअन्दाजी देवे ना ही अन्य किसी व्यक्ति से दखलअन्दाजी दिलावे। ना ही अन्य कोई ऐसा कार्य करे जिससे वादी के वैध अधिकारो पर विपरीत प्रभाव पड़े। वादी का पश्चिमी तरफ में 3/62 हिस्सा पर कब्जा उपयोग उपभोग चला आ रहा है। जिसमें उसने चारो तरफ चार दीवारी बना रखी है तथा इस चार दीवारी के अन्दर मकानात भी बना रखे है। जो नजरी नक्शा में दर्शा रखा है नजरी नक्शा संलग्न वाद पत्र है इसके मुताबिक वादी अपने वादी अपने आये हक हिस्सा भूमि खेत का विभाजन कराने का कानूनी अधिकारी है। यह कि प्रतिवादीगण व प्रतिवादी स 1 ता 10 ने दिनांक 10.10.2020 को ऐलानिया धमकियां दी की वादगत भूमि विक्रय, हस्तान्तरण कर देगें व बिना विभाजन के ही निर्माण करवा लेगें वादी ने प्रतिवादीगण से कई बार निवेदन किया कि संयुक्त अविभाजित खेत का विभाजन करावा लेवें तो टालमटोल करते रहे दिनांक 15.10.2020 को साफ इन्कार हो गये। यही वाद हैतुक है। व विधिवत रूप से विभाजन करवाने का वादी को कानूनी अधिकार है। वादी का अलग हिस्सा कायम करवाना चाहता है वादी को वादाधार प्राप्त है। आदि आदि

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण 01 ता 12 को तलब किया गया तथा प्रतिवादीगण 01 व 03 ता 08 व 10 बावजूद तामिल अनुपस्थित होने से उसके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई। प्रतिवादी संख्या 02 व 09 की ओर से एडवोकेट अरविन्द चौधरी ने वकालत नामा पेश किया, प्रतिवादीगण संख्या 02 व 09 की ओर से इकबाल जबाब दावा मय अतिरिक्त कथन पेश किया गया।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतू कायम की गई वादी भिवाराम के बयान प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र लेखबद्ध करवाये गये। दस्तावेज साक्ष्य में नजरी नक्शा प्रदर्स पी. 1 जमाबन्दी प्रदर्स पी. 2, नक्शा प्रदर्स पी. 3 प्रदर्शित करवाये। प्रतिवादी सख्या 2 भगवानी के बयान लेखबद्व करवाये गये।

बहस सुनी गई अधिवक्ता वादी ने कथन किया कि जरिये **इकबाल जबाब दावा मय अतिरिक्त कथन के आधार पर** दावा वादी का अंतिम डिक्री किया जावे तथा घोषित किया जाये कि खेत खसरा नं. 910/511 तादादी 3.1367 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम ढढेरू भाम्भूवान तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। जिसमें वादी हिस्सा खातेदारी दर्ज है उपरोक्त खेत संयुक्त अविभाजित खातेदारी के है। भूमि को राजस्व रिकार्ड में खाता विभाजन कर वादी का हक हिस्सा अलग खाता कायम किया जावें व अलग लगान कायम किया जावें। उपरोक्त नजरी नक्शा के अनुसार वादी के हक हिस्से की भूमि खेतों का विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में अलग खाता कायम किया जाये। तथा राजस्व रिकोर्ड में अलग खातेदारी कायम की जावें । प्रतिवादीगण को जरिये चिरनिषेधाज्ञा

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned with CamScanner

वर्जित फरमाया जावे कि वादगत खेत खसरा नं. 910/511 तादादी 3.1367 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम ढढेरू भाम्भूवान तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। जो कि संयुक्त अविभाजित खेत है। बिना विधिवत रूप से विभाजन करवाये बिना वादी के हक व हिस्से की भूमि मे से बेदखल ना करे विक्रय हस्तान्तरण ना करे ना ही विक्रय पत्र निष्पादित करे ना ही रहन अडाण गिरवी रखे ना ही कुआं खुदवाये नाही किसी प्रकार कोई निर्माण कार्य तथा ना ही वादी का उपरोक्त आने जाने का रास्ता रोके आदि आदि करे ना ही वादी के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में दखलअन्दाजी स्वयं पैदा करे या अन्य से करायें व ना ही ऐसा कोई कृत्य करे जिससे वादी के खातेदारी कब्जा काश्त उपयोग, उपभोग के वैध अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़े।

पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया व परिशिलन किया। वादपत्र के अनुतोष एवं प्रंस्तुत राजस्व रिकार्ड एवंम दस्तावेजों व साक्ष्य के आधार पर वादी व प्रतिवादीगण वादगत कृषि भूमि का विभाजन कराने के अधिकारी है और वादी का वाद डिक्री किये जाने योग्य है।

–: आदेश :–

वादी का वाद व प्रतिवादी गण का इकबाल जबाब दावा मय अतिरिक्त कथन के आधार पर अन्तिम डिक्री किया जाता है कि खेत खसरा नं. 910/511 तादादी 3.1367 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम ढढेरू भाम्भूवान तहसील बीदासर जिला चूरू में स्थित है। जिसमें वादी हिस्सा खातेदारी दर्ज है उपरोक्त खेत संयुक्त अविभाजित खातेदारी के है। दावे में प्रदर्श 1 नजरी नक्शा के मुताबिक दक्षिणी तरफ 3/62 हिस्सा व इसी प्रकार प्रतिवादी सख्या 2 भगवानी 5/248 हिस्सा दक्षिणी पश्चिमी कूट भूमि को राजस्व रिकार्ड में खाता विभाजन कर वादी व प्रतिवादी सख्या 2 का हक हिस्सा अलग खाता कायम किया जावें व अलग लगान कायम किया जावें। उपरोक्त नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा के अनुसार वादी व प्रतिवादी सख्या 2 के हक हिस्से की भूमि खेतों का विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में अलग खाता कायम किया जाये। तथा राजस्व रिकोर्ड में अलग खातेदारी कायम की जावें । प्रतिवादी सं. 11 तहसीलदार बीदासर को आदेशित फरमाया जावे कि मुताबिक निर्णय व डिक्री राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। मुकदमा खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगें। प्रतिवादी संख्या 11 बीदासर तहसीलदार बीदासर के नाम आदेश जारी हो कि निर्णय वा डिक्री की पालना करें। इस हेतु अलग से लिखा जावे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 22/9/21 .....को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू सत्यमेव जयते

Scanned with CamScanner